# न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

# पीठासीन अधिकारी, कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या 02/2022/निगरानी**

1. ओमप्रकाश } पुत्रगण स्व. लूणाराम जाति जाट
2. ताराचन्द } निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर

— **निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. सरदारसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर
2. ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली तहसील व जिला सीकर जरिये सरपंच

—**गैर निगरानीकर्ता**

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश मातवा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. मो. अयूब गौरी, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्त्ता सं. 1 की ओर से।

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा जारी पट्टा सं. 1 दिनांक 20.12.2001**

**निर्णय**

**दिनांकः 23 जुलाई, 2023**

1. निगरानीकर्तागणों की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश मातवा ने ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा जारी पट्टा सं. 1 दिनाक 20.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है:—
   (1) गैरनिगरानीकर्ता सं. 2 ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली के तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना कब्जे व हक, अधिकार के पट्टा नियमों के विपरित ग्राम चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नं. 299 का चुनौतिग्रस्त पट्टा सं. 1 दिनांक 20.12.2001 निगरानी कर्ता सं. 01 के पक्ष मे जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(2) चुनौतिग्रस्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 157(1) के अधीन उल्लेखित शर्तों व प्रारूप 23 "क" के अनुसार जारी किया जाना अंकित किया गया है। लेकिन उक्त भूखण्ड आज दिन तक भी खाली अवस्था में मौजूद है। जो पट्टा पत्रावली के साथ संलग्न ब्ल्यू प्रिंट नक्शे से भी स्पष्ट है तथा कोई पुराना नया निर्माण नहीं है। चुनौतिग्रस्त पट्टा नियम 23 नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है, जो आबादी भूमि का विलेख विनियमितीकरण के प्रावधानों में नहीं आता है, क्योंकि उक्त विवादित भूखण्ड कृषि भूमि खसरा नं. 299 का एक भाग है जो आबादी भूमि नही है।

(3) तत्कालीन सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायत राज. नियम 1996 के नियम 57(2) के विरूद्ध कृषि भूमि खसरा नं. 299 मे से पट्टा सं. 01 दिनांक 20.12.2001 क्षेत्रफल 376 वर्गगज का जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को 376 वर्गगज का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) चुनौतिग्रस्त पट्टा गैर निगरानीकर्ता सं. 01 के पक्ष में जारी किये जाने से पट्टा जारी किये जाने अथवा जारी नहीं किये जाने के संबंध मे प्रोविजनल डिसिजन पारित नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट मौका स्थल पर पट्टा पत्रावली के साथ तैयार नहीं की गई है। चुनौतिग्रस्त पट्टे की आबादी भूमि के विक्रय के सबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाना कानूनन आवश्यक है, जो प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया गया है। इसके अलावा भूखण्ड की नाप, सीमायें, पता आदि अंकित कर आक्षेप नोटिस चस्पा किया जाना आवश्यक है।

(5) निगरानीकर्तागण ने सरदारसिंह से उक्त भूखण्ड दिनांक 04.10.2021 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उस समय तक सरदारसिंह ने उक्त पट्टे के संबंध मे निगरानीकर्तागण को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन दिनांक 22.06.2022 को सरदारसिंह ने उक्त पट्टे के आधार पर उपहार पत्र राकेश बोराण पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट नि. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया। उसके पश्चात् राकेश बोराण उक्त दस्तावेज को लेकर दिनांक 19.09.2022 को मौके पर गया ओर निगरानीकर्तागण को उक्त उपहार पत्र के बारे मे

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

बताया तब निगरानीकर्तागण को चुनौतिग्रस्त पट्टे के संबंध मे जानकारी हुयी ओर निगरानीकर्तागण ने पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.09.2022 को प्राप्त जानकारी से निगरानी अंदर मियाद पेश की गई है तथा धारा 5 अवधि अधिनियम का शपथ पत्र भी अलग से पेश किया जा रहा है।

(6) अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा पारित पट्टा संख्या 1 दिनांक 20.12.2001 निरस्त फरमाया जावे।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. निगरानीकर्त्तागण एवं गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया है। राजीनामा में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है:–

(1) प्रकरण मे निगरानीकर्तागण व गैरनिगरानीकर्तागण के मध्य लोक अदालत की भावना से निम्नानुसार राजीनामा हुआ है। गैरनिगरानीकर्ता सं. 01 के पक्ष मे ग्राम पंचायत चन्दपुरा द्वारा पट्टा सं. 1 दिनांक 20.12.2001 जारी किया गया है जो कृषि भूमि खसरा नं. 299 मीन वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर का भू–भाग है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत अधि. के प्रावधानों के विपरित जारी किया गया है। जो ग्राम पंचायत अधि. के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किया जावे जिसमें गैरनिगरानीकर्ता सं. 01 को कोई आपत्ति ऐतराज नही है।

(2) पट्टा सं. 01 दिनांकित 20.12.2001 क्षेत्रफल 376 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को 376 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी करने का कानूनन अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता सं. 01 उक्त पट्टा निरस्त कराने मे सहमत है।

(3) अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामे के मुताबिक निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर पट्टा सं. 01 दिनांक 20.12.2001 ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. दौराने बहस निगरानीकर्त्तागण एवं गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 के अधिवक्ताओं ने निगरानीकर्त्तागणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा ग्राम चन्दपुरा की कृषि भूमि खसरा नं. 299 में से रकबा 376 वर्गगज का जारी पट्टा सं. 01 दिनांक 20.12.2001 निरस्त करवाने पर सहमति प्रकट की है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा के आधार पर निगरानीकर्त्तागणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उभयपक्षकारान के राजीनामा एवं सहमति के आधार पर निगरानीकर्त्तागणों की निगरानी **स्वीकार** की जाती है। ग्राम पंचायत चन्दपुरा पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर द्वारा ग्राम चन्दपुरा की कृषि भूमि खसरा नं. 299 में से रकबा 376 वर्गगज का जारी पट्टा सं. 01 दिनांक 20.12.2001 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक **23 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
**जिला कलक्टर, सीकर**

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर